

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर
पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 448/21 (वाद)

GCMS NO. : 2021/723

उनवान

1. श्री गणेश पिता कना भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
.....वादी

बनाम

1. श्री नाथू पिता भोला भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
2. श्री केशुलाल पिता हेमा भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
3. श्रीमती कमला पुत्री हेमा भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
4. श्रीमती देउ पुत्री हेमा भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
5. श्रीमती वरदी पुत्री हेमा भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
6. श्रीमती लीला पुत्री हेमा भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
7. श्रीमती मोडी बाई बेवा हेमा भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
8. श्रीमती नारायणी बेवा जुम्मा भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
9. श्री जगदीश पिता जुम्मा भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
10. श्री धन्ना पिता नारायण भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
.....प्रतिवादी

- उपस्थित-1. श्री लक्ष्मणगिरी गोस्वामी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री चन्द्रप्रकाश मेघवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी।



वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
--:निर्णय:-

दिनांक : 30.09.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा बंटवाडा किया जाने पर सहमति व्यक्त की। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर बंटवाडा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है

क्र.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	श्री गणेश, भोला, हेमा पुत्र कना हि. ब. जाति भोई सा. देह खातेदार	7584 कुंआ	0.0500	आ. चाह	
		7585	0.2000	बाराणी दि.	0.60



न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर प्र.सं. 448/21 अनवान गणेश बनाम नाथू निर्णय दिनांक 30.09.2022

1.	श्री गणेश, भोला, हेमा पुत्र कना हि. व. जाति भोई सा. देह खातेदार	7586	0.1500	वारानी द्वि.	0.45
		7587	0.1500	वारानी द्वि.	0.45
		7590	0.1000	वारानी द्वि.	0.30
		7591	0.1000	वारानी द्वि.	0.30
		7592	0.1100	वारानी द्वि.	0.33
		7599	0.0800	वारानी द्वि.	0.24
		7600	0.0800	वारानी द्वि.	0.24
		7601	0.0800	वारानी द्वि.	0.24
		किता 10	1.1000		3.15
		योग			
2.	धना पुत्र नारायण हिस्सा पूर्ण जाति भोई सा.देह	7581	0.2800	वारानी द्वि.	0.8400
		7582	0.2700	वारानी द्वि.	0.8100
		7583	0.2100	वारानी द्वि.	0.6300
		7593 कुंआ	0.0400	आ. चाह	
		7594	0.3000	वारानी द्वि.	0.90
		किता 5	1.1000	वारानी द्वि.	3.18
योग					
3.	जगदीश पुत्र झुम्मा नारायणी पत्नी झुम्मा हि.व जाति भोई रहन सम्पूर्ण खाता BOB भीण्डर	7588	0.5800	वारानी द्वि.	1.74
		7589	0.4300	वारानी द्वि.	1.29
		किता 2	1.0100		3.03
योग					
पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।					

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 448/21 (वाद)

GCMS NO. : 2021/723

उनवान

1. श्री गणेश पिता कना भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
.....वादी

बनाम

1. श्री नाथू पिता भोला भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
2. श्री केशुलाल पिता हेमा भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
3. श्रीमती कमला पुत्री हेमा भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
4. श्रीमती देउ पुत्री हेमा भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
5. श्रीमती वरदी पुत्री हेमा भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
6. श्रीमती लीला पुत्री हेमा भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
7. श्रीमती मोडी बाई बेवा हेमा भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
8. श्रीमती नारायणी बेवा जुम्मा भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
9. श्री जगदीश पिता जुम्मा भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
10. श्री धन्ना पिता नारायण भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.09.2022 को रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	श्री गणेश, भोला, हेमा पुत्र कना हि. व. जाति भोई सा. देह खातेदार	7584	0.0500	आ. चाह	
		7585	0.2000	वारानी द्वि.	0.60
		7586	0.1500	वारानी द्वि.	0.45
		7587	0.1500	वारानी द्वि.	0.45
		7590	0.1000	वारानी द्वि.	0.30
		7591	0.1000	वारानी द्वि.	0.30
		7592	0.1100	वारानी द्वि.	0.33



न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर प्र.सं. 448/21 अनवान गणेश बनाम नाथू निर्णय दिनांक 30.09.2022

		7599	0.0800	बारानी द्वि.	0.24
		7600	0.0800	बारानी द्वि.	0.24
		7601	0.0800	बारानी द्वि.	0.24
	योग	किता 10	1.1000		3.15
		7581	0.2800	बारानी द्वि.	0.8400
		7582	0.2700	बारानी द्वि.	0.8100
		7583	0.2100	बारानी द्वि.	0.6300
		7593 कुंआ	0.0400	आ. चाह	
		7594	0.3000	बारानी द्वि.	0.90
	योग	किता 5	1.1000	बारानी द्वि.	3.18
2	धना पुत्र नारायण हिस्सा पूर्ण जाति भोई सा.देह				
		7588	0.5800	बारानी द्वि.	1.74
		7589	0.4300	बारानी द्वि.	1.29
	योग	किता 2	1.0100		3.03
3	जगदीश पुत्र झुम्मा नारायणी पत्नी झुम्मा हि.ब जाति भोई रहन सम्पूर्ण खाता BOB भीण्डर				

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।